Shri Anandam can see the logic behind this particular provision. I see his point. Really speaking, the present provisions are proving ineffective. Therefore, as I said, it is not enough to have a law. We have to see that the law is workable and taxation becomes more effective. I can understand that. The honourable Mr. Choudhry made a speech and went away. He wanted some assurance उनके खिलाफ कोई ज्यादती नहीं होगी that is, there would not be any injustice for honest people. We would not be unfair to them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957 and the Gift-tax Act, 1958, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now we shall take up the clause by clause Consideration.

Clauses 2 to 25 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE INSECTICIDES (AMENDMENT) BILL, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Insecticides Act, 1968, be taken into consideration."

Sir, I am moving this Bill to amend sections 9(1) and 13(1) of the Insecticides Act, 1968, for extending the time limit up to 31st December, 1972, to enable large number of manufacturers, formulators, importers, sellers of insecticides who could not apply in time, to apply for the registration of their products to the Registration Committee, Government of India and for securing licences from the State authorities.

This has been necessitated because of the proviso of the above two sections wherein persons engaged in the business of import or manufacture of any insecticide immediately before the commencement of these sections, were to make an application to the Registration Committee within a period of six months *i.e.* up to 31st January, 1972, and those engaged in the manufacture or selling, stocking or exhibiting for sale or distributing, were to apply to the licencing officers appointed/notified by the States within a period of three months, that is, 31st October, 1971.

The bringing in of the manufacturers/formulators/importers/sellers who could not apply in time, under the purview of the Act would enable the States to continue to procure insecticides from these units and avoid dislocation and blockade of supplies of such an essential input for increasing production in the wake of all round drought situation resulting into substantial loss of foodgrains and other essential agricultural commodities.

The delay in setting up of the licensing agency in the States, lack of publicity, non-availability of gazette notifications to the widely scattered insecticide manufacturing/formulating units in the small scale sector, are some of the reasons for non-submission of the applications for registration and licences, in time. This amendment will also

[Prof. Sher Singh]

save closure of many manufacturing/formulating units in the country, particularly, at the time when we need insecticides for saving our crops in increasing large quantities.

Sir, I commend this Bill for consideration.

The question was proposed.

4 P.M.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, यह जो संशोधन विधेयक पेश हुआ है मैं इसका समर्थन करता हू । इसमें ज्यादा कुछ बोलने की बात नही है । मंत्री जी ने बताया कि बहुत से कारखाने ऐसे है जिनका रजिस्ट्रेशन समय के अन्दर नही हुआ और उसकी वजह से आपने 3 महीने और 6 महीने की जगह 17 महीने की अवधि कर दी । यह ठीक है । उसका कारण आपने बताया कि स्टेट्स के गजट में नही छपा, उसकी पबलिसिटी नही हुई । यह चीज यह साबित करती है कि इतनी इम्पार्टेंट चीज को, जो खेती के लिए इतना महत्व रखती है, केन्द्र के ऐसे कानून को भी स्टेट्स ने गम्भीरता से नही लिया । यह आश्चर्य की बात है कि केन्द्र के कानून बने और प्रदेश की सरकारें इतना भी काम न करें कि उसको कम से कम अपने गजेट मे छाप दे उनके पास इन्फारमेशन डिपार्टमेंट होता है जिसके जरिए से उनको इसकी मुनादी करनी चाहिए थी लेकिन जहां मुनादी हो गई क्या आपके पास ऐसे केसेज हैं जिन्होंने जानते हुए भी आपके पास एप्लीकेशन नहीं भेजी और यदि है तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहते हैं या नही ।

आपने 17 महीने का टाइम बढ़ाया । यह इसलिए भी मुनासिब है कि किसानों के काम की इस चीज के उत्पादन में कोई कमी नही आनी चाहिए क्योंकि उसकी मांग बहुत है । लेकिन इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि इसकीजो कीमत है वह भी कम होनी चाहिए क्योंकि आज गांव-गांव में इनसेक्टीसाइड्स के बारे में जानकारी काफी हो गई है और मांग भी बढ़ती जाती है, लेकिन मांग के बढ़ने के साथ साथ कीमत भी बढ़ती जाती है । तो मैं इस मौके पर मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हू कि इसका प्रोडक्शन बढ़े, मैं चाहता हूं कि इसके और भी कारखाने लगें लेकिन इसकी कीमत पर कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिए ।

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले कहा, इस पर ज्यादा कहने-सुनने की बात नहीं है, बड़ा इन्नोसेन्ट एमेंडमेंट है, 6 महीने की जगह 17 महीने करने का एमेंडमेंट है । तो मैं इसी बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि इनसेक्टीसाइड्स की कीमत घटानी चाहिए, उसका प्रोडक्शन बढना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हू ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) in the Chair.]

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमन्, यह जो सरकार की ओर से बिल आया है यह बिलकुल वेजीटेरियन बिल है । इसलिए इसका विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस बिल के अन्दर प्रावधान किया गया है कि जो उत्पादक है, कीटाणुनाशक दवाइयों के खुदरा या थोक बिक्रेता है उनको पंजी करने की व्यवस्था है । लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो ऐसा लगता है कि बिलकुल व्यावहारिक नही होंगी । इसमे पंजीकरण की जो तारीख बढाई गई है वह 31 दिसम्बर 72 है और यह महीना अगस्त का है, 4-5 महीने और हैं और तब तक तमाम लोगों का पंजीकरण करने का सवाल उठेगा । इस एक्ट को हो सकता है कुछ समय लगे, इसका समाचार देहात में पहुंचते पहुंचते दो महीना लग जायगा । इस लिए, यद्यपि मैंने कोई संशोधन नहीं दिया, मेरी अर्ज यह है कि इसको 31 मार्च 73 कर, देना चाहिए । दूसरे इसमें यह व्यवस्था है कि जो 31 दिसम्बर 72 तक पंजीकरण नहीं करा पाएगे और उसके बाद दरख्वास्त करेगे तो उन्हे प्रति माह 100 रुपया जुर्माना देना पडेगा । मुझे लगता है कि इतनी पेनाल्टी का जो

प्रावीजन है वह बड़ा कठोर है । छोटे छोटे दुकानदार है जो ये दवाइया भी रखते है । सरकार की ओर से कोई दूकाने कीटाणुनाशक दवाइयो को नहीं खोली गई है । वे दूकानदार ये भी रखते है और दूसरी चीजें भी रखते हैं । मे जो यह 100 रुपया देने का प्रावधान है यह काफी कठोर और तकलीफदेह होगा । ये दो बातें मुझे इस बिल के बारे में कहनी थीं । इसलिए मेरा ख्याल है कि उसको घटा कर 50 रुपए करना चाहिए ।

एक-दो और रिमार्क जो इसके सम्बन्ध में मैं करना चाहता हूं वे यह है कि जो किटाणुनाशक दवाइयां हैं उनकी बहुत अधिक जरूरत इस माने में है कि फसलों का करीब 15-20 प्रतिशत इन दवाइयों के अभाव में खराब हो जाता है, कीड़े लगते हैं, उसको खा जाते हैं और इसलिए फसल को बचाने के लिए कीटाणुनाशक दवाइयों की सख्त जरूरत है । अभी जो सरकार की तरफ से हाई यील्डिंग वरायटी निकली है गेहू में या धान में उसके सम्बन्ध में सरकार के लोग कहते है कि वह कृषि विभाग का सुकुमार बच्चा है जो और बिमारियों का शिकार हो जाता है । ऐसी हालत में इन फसलो को बचाने की सख्त जरूरत है । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इन दवाओं को सस्ता करने की जरूरत है । हम लोग भी किसानो थोड़ा बहुत करते है और हम को पता है कि जो कीटक नाशक दवाए है वे बड़ी महगी है और किसानों की पहुंच से बाहर है । ऐसी हालत है अभी जो 15, 20 प्रति शत फसलों को हानि पहुच जाती है इन दवाओं के अभाव मे उसको बचाने के लिए यह आवश्यक है कि ये जो दवाएं बन रही है इन की कीमतों में भारी कमी की जाय । इसलिए ऐसी दवाएं चाहे सरकारी कारखाने में बनती हों या किसी कारखाने में बनती हों उन्हे सस्ता करने की जरूरत है ।

दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि ये दवायें जहरीली होती हैं और फसलो पर लगे हुये कीड़ों को मारने के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती हैं । अभी जो किसान हैं उनमें अधिकतर इलिटरेट हैं और इस बात को जानते नहीं है कि इन दवाओं मे जहरीलापन कितना अधिक है । इसका परिणाम यह होता है कि देहातों के अन्दर जो किसान इन दवाओं को ले जाते हैं और जो इनको अपने घरों में रखते हैं उनके बच्चे इन दवाओं को अगर खा जाते हैं या किसी तरह से इनका गलत इस्तेमाल हो जाता है तो वे मर जाया करते हैं । इसलिए सरकार की ओर से इस बात का व्यापक प्रचार होना चाहिये कि इन दवाओं को किस तरह मे रखना चाहिये और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिय । अगर यह नहीं किया गया तो जो अधिकतर किसान है और जो इसके जहरीलेपन के बारे मे नही जानते हैं उनके लिए खतरा भी हो सकता है । अभी तक कोई खास प्रचार सरकार की ओर से नहीं हुआ है, कोई बुकलेट नहीं निकली है, कोई लीफलेट नही निकाला है जिस में इन दवाओ के इस्तेमाल के बारे में बताया गया हो । इसलिए मैं सरकार से चाहूगा कि इन दवाओं की कीमत कम करने के साथ साथ इसका जो उपयोग है और इससे जो हानि होने वाली है या हो सकती है मनुष्यों को उसके प्रचार की भी व्यवस्था की जाय ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Mysore) : Sir, I am not opposed to this Bill. What I would like to say is the honourable Minister is doing something about quality control on the various items which are going to be produced by so many new establishments. As is well known, the quality of many of the insecticides which are manufactured in this country and that

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

of many of the fertilizers is extremely below the standard. There have been many analyses in different institutions which have revealed the fact that many of these items do not conform to the ISI standard. So something must be done about it. Apart from the question of rise in prices which my honourable friend has so eloquently talked about, it is very necessary to maintain their quality because a very extensive use of these pesticides and insecticides in this country. Therefore, I would like to know what measures the Minister would like to take to see that the ISI standard is insisted upon. I would also like to know when a large number of new establishments are being licensed every now and then what measures he takes to see that proper quality is maintained.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : I am glad that the Government is trying to regulate this trade of insecticides and pesticides. Perhaps some members of the House who have been here for sometime will remember that the poor farmers of Gujarat were duped by a firm that sold a common salt in the name of fertilisers. The farmers lost lots of crop some years ago. Then when there was a hue and cry raised all over, the gentleman who was doing this went and settled down in Pondicherry . . .

PROF. SHER SINGH : This Bill is on Insecticides.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : The same thing may happen here. Insecticides may be of the right type and wrong type. What is the type of insecticides that we need here? I would say that we need insecticides that are capable of dealing with bigger bugs than you have in view, like the Chairman of the Food Corporation. Have you got anything to deal with such bugs so that poor farmers are not going to suffer? A few days back it appeared in the papers that Rs. 500,000 worth of platinum has been lost from the Uranium laboratory. Have you got any insecticides which can prevent this? What about Super Bazar? Everybody knows what is happening there. What is the Government doing about it? You need much stronger insecticides to clean your own Augean stable. That is what we are interested in. Have you got anything for that?

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : This Bill relates to insecticides for agricultural use; not human insecticides.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Augean stables are everywhere under the Congress Raj—whether in agriculture or elsewhere. Only a few days back there was a huge fraud in the CHS dispensaries. There were medicines supposed to be given to human beings—particularly Members of Parliament. For that fraud the ring of compounders and Doctors who were responsible were not punished. They are going on merrily with that trade even though their attention has been drawn repeatedly to this. CBI was asked to and inquire into it. The Doctor who was there presiding was transferred elsewhere. It is not the Doctor who is punished thereby. He will get his salary; but it is the patients who suffer. Patients do not like a change of Doctor. If you ask the Ministers they will tell you. The same Doctor goes to my house and many other houses of Ministers. If you transfer a Doctor it is the patients who are punished Instead of punishing the persons who run away so much of Government property and medicines, you punish us. Is it the right way of doing things?

I wish the objective of the Government which appears laudable is fulfilled But from so many years of experience, I have always seen that the objectives of the Government always remain only on paper. In execution something

exactly opposite happens. Parinam is always viparith. Will the hon. Minister assure us that this will not happen at least in respect of his Bill ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : श्रीमन्, उपसभापति महोदय, यह बिल विरोध नहीं, समर्थन के लायक है और मैं तो यह कहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन हमारे मित्रों ने कुछ बातें बतायीं, सूरज भाई ने बताया कि जो आप ने रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया है और नवीकराने के लिए दर निर्धारित किया है वह उपयुक्त नहीं है। वैसे उन का भी संशोधन नहीं है और मेरा भी संशोधन नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह एक विचारणीय बात है। बात छोटी है, लेकिन विचारणीय है, क्योंकि जैसा यह छोटा सा बिल है वैसी ही सलाह भी छोटी सी है।

लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि दवा की क्वालिटी का कोई हिसाब नहीं है। क्वालिटी का हिसाब आप कर भी नहीं सकते हैं। कोई भी उस को तैयार कर रहा है, कहीं भी उस को वह बेच रहा है, तो उन के द्वारा सीधा किसान ठगा जा रहा है दोनों अर्थ में। पैसा भी उस का खर्च हो रहा है और जिस काम के लिए वह पैसा खर्च करता है वह काम भी उस का नहीं होता है। इसलिए इस बिल में कौन सा प्राविधान आप कर रहे हैं जिस से सही दवा सही दाम में किसानों के पास पहुंच सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आप जिस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को लाये हैं उसका सचमुच में कारगर असर किस प्रकार से पड़ेगा ?

एक बात मैं कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप यह कहें कि भाई यह तो राज्य सरकार के अधीन है। वैसे तो कोई भी चीज वास्तव में राज्य सरकार के अधीन होती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब दवा के छिड़काव का और खास कर के हवाई जहाज से दवा के छिड़काव का प्रचलन चला है, वह जितना कारगर है उतना ही वह धोखा देने वाला है। हमारे राज्य में इन दवाओं को छिड़कने के लिये जो एक प्लांट प्रोटक्शन अधिकारी हुआ करते थे उनमें हमारे बिहार में एक ऐतिहासिक श्री बी० के० सिंहा, अफसर हो गये हैं जिन्होंने कितने ही लाख की दवा का घुटाला कर दिया, कितने ही लाख खा गये। उनके ऊपर बहुत मुश्किल से कोई केस चला है। कोई छोटा मोटा आदमी उन पर केस चलाना चाहता है तो मंत्री से ले कर अन्य लोगों को वह पैसे से मिला सकते हैं।

श्री डाह्याभाई व० पटेल : बिहार के लोगों की भूख बहुत ज्यादा है। वहां श्री श्री कृष्ण सिंहा का केस है। सब भूखे लोग वहां है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, जैसे कि आज एक प्रश्न आया खाद्य-निगम के चेअरमन के बारे में। सब लोग यहां उपस्थित थे लेकिन वह लोग चले गये और उनके उपस्थित होते हुये भी वह प्रश्न पूछा नहीं जा सका। उनके खिलाफ इतना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट भी कुछ नहीं करती है, न सरकार की ओर से कुछ होता है और न पार्लियामेंट की ओर से कुछ होता है। तो हमारे यहां एक श्री बी० के० सिंहा नाम के अधिकारी हो गये हैं जिनके चलते लाखों लाख रुपये की गडबड़ी हुई। किस प्रकार से पता लगाया जायगा कि जो दवा पानी मिला कर छिडक दी गई वह दवा ठीक थी या उसमें पानी ही था। वह दवा तो छिड़क दी गई। तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता और उसका चार्ज किसानों से हो जाता है। अगर दवा ठीक से छिड़की जाय तो मैं मानता हूं कि कीडे मरते हैं और उससे किसानों को फायदा होता है लेकिन अगर एक जगह कहीं ठीक से छिड़काव होता है तो निन्यानबे जगह यों ही हो जाता है। आप कहेंगे कि यह तो राज्य सरकार की बात है लेकिन है तो वह

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

किसान की बात । तो आप क्या उपाय निकालेंगे जिससे कि पता चले कि किसानों को फायदा हो । उसी तरह से मेरा कहना है, जो भी कानून आप पास करते हैं, उसका कार्यान्वित राज्य में ही होता है तो यह भी कानून जब पास करेंगे तो फिर वैसे ही राज्य मे इसका कैसे कार्यान्वित होगा उसका हिसाब मैं जानना चाहता हू अन्यथा यहा एक्ट पास हो कर रह जायगा और उसके आगे कुछ नही होगा । तो यह भी एक अहम सवाल है । सके लिये भी हम सब जानना चाहेंगे ।

अब पेस्टीसाइड्स का युग आ गया है, जैसे कि किसान चाहता है कि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो, अच्छा बीज उसको मिले, उसी तरह वह यह भी चाहता है कि उसके लिये पेस्टीसाइड्स की व्यवस्था हो । तो क्या आपने सचमुच में इन चीजों के लिये ठीक व्यवस्था की है । उसकी व्यवस्था न करने के कारण ही आज बिहार में सूखा है, राजस्थान में सूखा है, हिन्दुस्तान के दस-बारह स्टेट मे सूखे के कारण अकाल की स्थिति आ रही है । बिहार में तो अकाल आ ही गया है । पता नही क्यों नही बिहार सरकार उसको अकाल-क्षेत्र घोषित कर पा रही है । अभी मैं कुछ क्षेत्रों से हो कर आ रहा हूं । पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर आदि क्षेत्रों में जाने पर मैंने देखा कि स्थिति कितनी भयंकर है । पूर्णिया में तो जो लाफा एवं बबूल का पत्ता होता है उसको खा कर के जीते हैं । कुछ ब्लाकों में सरकार को यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ी है और कुछ कदम उठाया है लेकिन अनेक जगहों में बड़ी कठिन स्थिति है ।

श्रीमन्, आज किसान स्थिति में परिवर्तन करना चाहता है लेकिन प्रश्न यह है कि उस परिवर्तन करने में आप क्या सहयोग देना चाहते हैं ।। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि दवा का सैम्पिल है, तो वह दवा खराब है या ठीक है इसको आप किसान को बताते नहीं है । आप के पास कोई मशीनरी नही है कि आप किसान को ठीक ठीक उसका उपयोग बता सके । एक एक दवाये कुछ ऐसी है जैसे कि तेल हो, तेल वह बनती है, जिसके कारण यह पता नही लगता कि कौन तेल है और कौन कीड़े मारने की दवा है और कभी कभी लोग गल्ती से उसका उपयोग कर लेते हैं जिससे कि दर्जनों लोग मौत के शिकार हो जाते है उ मे कुछ कलरिंग, कुछ कडवाहट जैसी चीज दे दी जाए । जिससे लोग उसका उपयोग न कर सके । तो इस तरह की अनेक चीजे हैं जिन पर बारीकी से विचार करके देखना चाहिए । इसमें आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का आइटम लिया है कि हम इस क्षेत्र में प्रवेश किए हुए हैं कि जो दवा बनाने का काम करेगा, जो दवाई को बिक्री करेगा, दोनों हमारे पास आएगे । लेकिन आप किस मतलब से रजिस्ट्रेशन कर रहे है दवाई बनाने वालों का और दवाई बेचने वालो का ? इसके कारणो का आपने कोई उल्लेख नही किया है । अगर आप अपने वक्तव्य में उसका उल्लेख करें और जो प्रोसीजर आप फालो करेंगे उसको भी बता दें तो बड़ी अच्छी बात होगी ।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत न दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार न करे, उसके लिए उनका रजिस्ट्रीकरण करना भी बहुत जरूरी है । लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इनसान करता था और जिंदगी का एक तरीका था, सब्सिस्टेन्स का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था । आज तो विज्ञान ने उसको एक तरह से इन्डस्ट्री बना दिया और कही खेती में, कहीं ट्रैक्टर्स के तेल में, दूसरी चीजों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसान को दो तीन, चार साल के लिए मुश्कील हो जाती है।

महोदय, जब कीटाणुओं का हमला होता है तो दवाई छिडकना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणू तबाह कर देते हैं । अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने 4 विमानों की मांग की, कि हमें दवाई छिडकने के लिए विमान चाहिए । सरकार को विमान नहीं मिल पाया । एक महीने के बाद सरकार को इत्तिला दी जाती है कि दो विमान मिल जाएंगे, जब कि चार का आर्डर दिया था । इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा, फसल क्या बचेगी ? आखिर हवाई जहाज भागते हैं तो एक जरूरत को नुक्ते निगाह में रख कर मांगते हैं और उसमें समय एक बहुत जरूरी अंग है और ठीक समय पर दवाई न छिड़की जाए तो फिर वह डंठल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है, वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती । इसी तरह से, जैसा कि पूर्ववक्ता ने बताया, कई दफा खराब दवाई छिड़की गई । अगर दवाई अच्छी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं । तो यह भी जरूरी है कि दवाई ठीक हो, यहभी जरूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ न करे और ठीक समय पर छिड़काव करे । जहां तक हाथ से छिड़काव है या छोटी मशीन लगा कर छिड़काव करना है वह तो किसान अपनी दम पर कर सकता है । अपने खेत में कोई बीमारी का मुकाबला करना है, कोई कीटाणुओं का मुकाबला करना है, तो कर सकता है । लेकिन जब बीमारी सारे आस-पड़ौस में हो तो वह तो सरकार का काम है । सरकार भी इसी तरह कर सकती है जैसे विमानों के जरिए दवाई छिड़का दे । लेकिन वह ठीक समय पर अगर न हो पाए तो अच्छी बात नहीं है ।

उप-सभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने व्यापारियों, बेचनेवालों और बनानेवालों के लिए रजिस्ट्रीकरण की बात आवश्यक बतलाई है, वहां उसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को जल्दी कर देनी चाहिये । जहां इस चीज पर इतना ज्यादा खर्चा होता है वहां पर आपको देश की इकौनौमी को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करना कोई ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम ही मालूम होगा । अगर आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुकसान हो जायेगा और विमान के खर्च से फसल को जो नुकसान होगा वह कई गुना ज्यादा होगा । इसलिए आप को इस नुकसान को बचाने के लिए ठीक समय पर विमान दे देने चाहिये । कोई भी प्रादेशिक सरकार हो, हरियाणा की हो, या कोई दूसरी हो, जब भी कोई हवाई जहाज मांगे तो केन्द्रीय सरकार को इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये ।]

इसके साथ ही साथ जहां पर सरकार दवाई छिड़कने का काम करती है वह उन्हें समय पर करना चाहिये और जहां पर किसान स्वयं करते हैं वहां पर किसानों की मदद कि जानी चाहिये ताकि खेती की पैदावार जितना हम बढ़ाना चाहते हैं उतना हम बढ़ा सकें ।

DR. V. B. SINGH (Uttar Pradesh) : Sir, while supporting this Bill I have to make three main observations. While an adequate and comprehensive Bill is necessary for the spread of insecticides in the countryside, what is more necessary is the diffusion of knowledge about it; and this diffusion of knowledge, in spite of the comprehensiveness of the Agriculture Department and the network of the Community Development Programmes, is found inadequate. I would like to suggest that the Ministry of Agriculture should take advantage of the secondary schools where education in science is imparted. The teachers in these secondary schools should be given *ad hoc* training in soil analysis and the use of insecticides in given situations so that the services of these science teachers are available to the local community for the diffusion of knowledge about insecticides.

[Dr. V. B. Singh]

In the second place it is necessary that adequate instruments are produced for the use of the insecticides and it must be known from which direction they are to be spread because sometimes it is spread in the wrong direction. If the westerly is blowing and one starts spreading from the wrong side, the insecticide goes to the east instead of being in the field.

Our colleague, Mr. Ranbir Singh, has talked about planes. In fact I tabled a question about the number of helicopters needed for spreading insecticides in the country I hope the Ministry will give a very adequate answer.

In the third place I would suggest that often complaints are made that the prices of these insecticides are high, and the Government should subsidise. I entirely agree that these are essential inputs in agriculture and the prices should be lowered. In case it is not possible, the Government should make a provision so that these insecticides and other necessary inputs are given to them on credit and at the time of procurement the prices are adjusted through Government agencies; which will imply, in other words, that the procurement price will have to be lower than what it is at present.

प्रो० शेर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो बिल के सम्बन्ध में अभी श्री रणबीर सिंह जी ने कहा कि यह जो विधेयक है वह एक मासूम विधेयक है, परन्तु इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कुछ प्रश्न उठाये हैं, उनका मैं उत्तर देना चाहता हूं ।

श्री सूरज प्रसाद जी ने एक प्रश्न यह उठाया कि इसकी अवधि 31 दिसम्बर 1972 के बजाय 31 मार्च, 1973 तक यानी तीन महीने और ज्यादा अवधि बढ़ा दी जाय । इस बात पर विचार किया गया और मैं समझता हूं कि काफी समय लोगों को मिल चुका है, 13 महीने हो चुके और अभी भी चार महीने और बाकी है । इस चीज का काफी प्रचार हो चुका है तथा स्टेट सरकारों ने कुछ कदम भी उठाये हैं । एक दो स्टेटों को छोड़कर बाकी सब स्टेटों में लाइसेंसिंग आफिस नियुक्त हो चुके हैं । मई महीने तक लाइसेंसिंग आफिसर स्टेटों के अन्दर नियुक्त करने थे वे कई जगह मुकर्र नहीं हुए, इसमें देरी लग गई, लेकिन अब बहुत सारी स्टेट्स कर चुकी हैं और अब वे अप्लीकेशन लेकर इस चीज का जल्दी फैसला कर सकते हैं । इसलिए जो चार महीने की अवधि है, उसके ऊपर हमने सब चीजों को ध्यान में रखकर फैसला किया और मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा अवधि देनी चाहिये ।

श्री सूरज प्रसाद ने पैनाल्टी के बारे में कहा कि यह बहुत कठोर सजा है । अगर कोई 31 दिसम्बर तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन नहीं देता है, तो उसके बाद हर महीने के लिये 100 रु० जुर्माना होगा । इसको आपने ज्यादा बतलाया है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चीज केवल उन लोगों के ऊपर लागू होगी, जो इम्पोर्टर है और मैन्युफैक्चरर है क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत काफी समय दिया जा चुका है और चार महीने का समय और दिया जा रहा है । हमारे देश में इस समय 290 छोटे बड़े ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इंसेक्टीसाइड बनाते हैं । इनमें से कुछ तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेशन दे चुके हैं और जो बच जाते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, उनके लिए चार महीने की अवधि काफी है । हमने पेनाल्टी रखी इस वजह से कि उनको कुछ डर रहेगा तो जल्दी करेंगे और अगर पता लगेगा कि पेनाल्टी नहीं है तो देर लगाएंगे । हम चाहते हैं कि इनसेक्टीसाइड्स का काम रुके नहीं चलता रहे । हम केवल रेगुलेट करना चाहते हैं, विधि-विधान में बांधना चाहते हैं । उसमें बांधने के लिए काफी समय दिया । अभी चार महीने और बाकी बचे हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि छोटी छोटी जगह पर, गांवों में

जो बेचते हैं इनसेक्टीसाइड्स उन पर भी लागू होगा। उनके ऊपर लागू नहीं होगा। यह केवल इम्पोर्टर्स, मैनूफेक्चरर्स के ऊपर ही लागू होगा। इसलिए इससे किसी गरीब आदमी को नुकसान हो ऐसी बात नहीं है।

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उसमें ऐसा प्रोवीजन है ?

प्रो० शेर सिंह : उसमें प्रोवीजन सेक्शन 9(1) में रखी है। सेक्शन 13 डील करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स से, उसमें नहीं रखी है। इसलिए चिन्ता करने की कोई बात नहीं है।

एक बात यह कही गई थी कि क्वालिटी कन्ट्रोल होना चाहिए। ओल्ड एक्ट के नीचे जो रूल्स बनाए हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा है। रजिस्ट्रेशन कमेटी जो भारत सरकार ने बनाई है वह रजिस्ट्रेशन करते समय इनसेक्टीसाईड्स के बारे में पूरी जानकारी करेगी, स्क्रूटिनी करेगी, फार्मूले की एफीकेसी वगैरह, सब चीजों का ध्यान रखेगी, तब उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेगी। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि क्वालिटी हम अच्छी तरह से देख लिया करें और जब क्वालिटी ठीक हो तभी हम उस चीज को इजाजत दें। इसलिए क्वालिटी के बारे में कोई चिन्ता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पानी वगरह मिला कर बाहर गांवों में बेचे, तो उसके लिए राज्य सरकारों के पास अधिकार हैं। कई जगह अधिकारों का प्रयोग नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें इस ओर अधिक ध्यान दें, क्वालिटी का भी ध्यान करें, क्वालिटी जो किसानों को दी जाय वह जैसी ऊपर से आती है वैसी किसानों तक पहुंच जाय इस बात के लिए हम राज्य सरकारों से कहेंगे।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : इसको एग्जामिन करने का कोई मीटर है जिससे यह मालूम हो सके यह सालिस है या नहीं है।

श्री डाह्याभाई व० पटेल : उनका कहना ठीक है। जो क्वालिटी ऊपर से आती है वही जा रही है। फूड कारपोरेशन की क्वालिटी मालूम हो गई, जो ऊपर है वही नीचे जा रही है।

प्रो० शेर सिंह : जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब देखेंगे, फार्मूला भी देखेंगे, चेक भी करेंगे। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाय उसमें कोई मिलावट न कर सके उसकी देखभाल लोकल लेवल पर ही हो सकती है। इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाने का हम प्रयत्न करेंगे।

दवाईयों में पोइजन के बारे में कहा गया कि कई बार किसानों को इस बात का पता नहीं होता कि इस दवाई में कितना पोइजन है इसलिए कोई विशेष निशान या कोई रंग या कोई लेबिल लगाया जाय। ये जो दवाइयां होती हैं उनमें पोइजन तो होता है। इसलिए हमने उनके लिए अलग अलग निशान बनाए ट्राएंगुलर लाल रंग वगरह के और उन पर हम लिखते हैं कि यह पोइजन है। उसके लिए कुछ एन्टीडोट्स भी लिखे जाते हैं। मान लीजिए किसी वक्त उसका इस्तेमाल कोई गलती से कर लेता है, तो उसके पीछे छोटी मोटी दवाइयां एन्टीडोट्स की दी होती है। किसान उसको देख ले या दिखा ले, कोई उसे खा ले, तो उसमें लिखा होता है कि यह एन्टीडोट है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वह एन्टीडोट मिलता ही नहीं है।

प्रो० शेर सिंह : एक बात कही गई कि जो हवाई जहाज से छिड़काव होता है उसमें कई बार दवाई ठीक से नहीं पहुंचती। एक बात का हम ध्यान रखते हैं कि जब हवाई जहाज से दवाई का छिडकाव होने वाला हो, तो उस समय कृषि विभाग के लोग भी वहां हों और गांव के अन्दर, उस इलाके में भी किसानों में प्रचार करते हैं कि किसान भी देख ले कि उस

[प्रो० शेर सिंह]

समय जो दवाई जा रही है उसमें कोई गड़-बड़ तो नहीं हो रही है। वे उसको देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि इकाई ठीक जा रही है।

जहां तक हवाई जहाज और दूसरे साधन देने की बात है, जो राज्य सरकारों की ओर से मांग आती है उसका ध्यान बराबर रखते हैं और राज्य सरकारों को सुविधाएं भी दी जाती है।

इनसेक्टीसाइड्स की कीमत के बारे में नवल किशोर जी ने और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा। हम जो इम्पोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत कम रखी है। सलिए छूट दी गई है कि वह सस्ती किसान तक पहुंच सके। जब छिड़काव होता है, तो राज्य सरकारें सब्सीडाइज करती हैं, भारत सरकार भी सब्सीडाइज करती है। जब किसान अलग अलग लेते हैं, तो उसके लिए भी सबसिडी का प्रबन्ध है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी सबसिडी दे सकते हैं दे और कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी है ताकि उसकी कीमत कम रहे।

इन चन्द शब्दों के साथ में सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। जो प्रश्न उन्होंने उठाए मैंने कोशिश की है उनका जवाब देने की। जो बातें रह गई है उन का ध्यान हम रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इनसेक्टीसाइड्स के द्वारा प्लान्ट प्रोटेक्शन के काम को हम अच्छी तरहसे चला सकें और देश में अनाज की उपज बढ़ा सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The question is :—

"That the Bill to amend the Insecticides Act, 1968, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : We shall now take up clause-by clause consideration of the Bill. There are no amendments.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. SHER SINGH : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हमने चाहा था वह उन्होंने नहीं बताया। जो विश्लेषण चाहिये था वह किया नहीं। अब मुझ को वह विश्लेषण करना पड़ रहा है। अभी तक कीट नाशक दवाएं बनाने वाले और बेचने वाले पर हमारी सरकार का कोई अधिकार नहीं है और अधिकार नहीं रहने के कारण जो इनको चन्दा चाहिये वह नहीं मिलता है। अब यह रजिस्ट्रीकरण का जो विधि विधान होगा उसके कारण दोनों पर सरकार का अधिकार हो जायेगा। इस समय जो इनके चुनाव का खर्चा बढता जा रहा है वह खर्चा इनको मिलेगा और ये लाभान्वित होंगे। इन्होंने कहा कि ऐग्रोकल्चर के अधिकारी हवाई जहाज के समक्ष रहेंगे। मैंने यह कहा कि प्लाटप्रोटेक्शन आफ़िसर जो बिहार में काम करता था और जिस के ऊपर केस चल रहा है उसका कुछ होने वाला नहीं है। आप को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

आप ने किसानों के बारे में दो शब्द कहे कि किसान लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए उसपर ऐंटी डोट लिखा रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि ये दवाएं तो सब जगह मिलती हैं, लेकिन ऐंटी डोट की दवा तो ज़िले स्तर पर भी नहीं मिलती है। अगर कोई किसान या उसका लड़का वह दवा खा गया तो वह ज़िला स्तर तक पहुंच ही नहीं सकेगा, अस्पताल पहुंच ही नहीं सकेगा। आप ने कहा कि

यह साइन बोर्ड पढा कर के हम किसानों का उपकार करना चाहते है, लेकिन इससे क्या आप किसानो का उपकार कर सकेगे ।

हरी क्राति हरी क्राति कह कर के आप ने देश मे हरी क्राति ला दी लेकिन आपने यह नही माना कि नेचर ठीक रही जिस के कारण उपज बढ़ी । हम लोगों ने कहा तो यह कहा गया कि उपज रखने को जगह नही है । अब जब ड्राउट हुआ तो वही हरी क्राति सूखी क्राति मे बदल गई । मै यह जानना चाहता हू कि किस तरह से अब आप किसानो को लाभ पहुचाना चाहते है । किस प्रकार सब्सीडी देगे, क्या देगे, क्या उस की व्यवस्था है, क्या आप राज्य सरकार को सारी बाते कहेगे । आप का सार काम राज्य सरकार करती है और बिहार ऐसे राज्य मे मै जानता हू कि जहा आप चिट्ठी लिखेगे तो आप को जवाब भी नही मिलेगा, क्या उन के द्वारा यह सारी व्यवस्था होगी ?

श्री डाह्याभाई ब० पटेल : पढेगा कौन, अनपढ लोग है देहात में ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : फिर आप कहेगे कि अनपढ लोगों की बात आप करने लगे । तो यह केवल सरकार की बात ही नही है । सवाल छोटे किसानो का है, बात उनकी है । जो फाइन्स होगे रजिस्ट्रेशन और पेनाल्टी के वह कान देगा यह हमारे मत्री महोदय बता दे । वह कोई बनिया, कोई इपोर्ट करने वाला या दवा को बनाने वाला नही देगा । वह सारा का सारा किसान को पेमेट करना पडेगा । आप किसानो को रिलीफ किस प्रकार दे रहे है । ऐसा लगता है कि एक तरफ तो हम छोटे छोटे किसानो के नाम पर प्रचार के साधनो को बढाते चले जा रहे है, और कोई भी कदम जो आप बढाते है उस मे हम आप को समर्थन देना चाहते है लेकिन उस मे भी लगता है कि आप के मन में उस के पीछे कोई दुरभिसधि है और वह यह है कि आप किसानों पर टैक्स बढाते चले जाना चाहते है । जिस तरह से ट्रक्टर की बात हुई है, उस में कितने दाम बढा दिये, इसी तरह से खाद पर दाम बढ़ा दिये गये इसी प्रकार आप पेस्टीसाइड का भी हिसाब कर ले । कहते है कि सब्सीडी देने से कीमत कम होती है, लेकिन आज उसका दाम देख ले कि कितना बढता चला जाता है और अगर आप सब्सीडी दे तो दाम बढेगा नही, घटेगा । उसे बढना नही चाहिये । पता नही आप इसमे कितनी सब्सीडी देते है लेकिन बाजार में नित्य प्रति ही दाम इस के बढते जाते है । और इसके अलावा जब हम कहते है कि फसल मे कीडा लग रहा है, फसल को कीडा काटे जा रहा है तो सरकार को उस बात को समझने मे ही महीनो लग जाते है । कभी कभी तो कीडा पूरे खेत को चट कर जाता है । उस की आप क्या व्यवस्था करने जा रहे है ? तो मै चाहता था कि आप कुछ व्यवस्था की बात करते, तो अच्छा होता । यह जो रजिस्ट्रेशन या पेनाल्टी का खर्च पडेगा यह कोई इंपोर्टर या दवा बनाने वाला नही देगा, यह भी तो किसानो पर ही पडेगा । इस का क्या निराकरण मत्री जी करने जा रहे है यह मै जानना चाहता हू ।

प्रो० शेर सिह : उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी विशेष बात तो उन्होने कही नही जिस का उत्तर देना आवश्यक हो । एक बात जरूर कही गयी कि उन को ऐसी दवाये बनानी चाहिए कि जो इसेक्टीसाइड्स बनते है उन को हम देख ले वे अच्छी क्वालिटी के हो और वे सब के पास पहुच जाय और उन का ठीक उपयोग हो जाय जिस मे सब काम ठीक से हो सके । उस के लिए आप लोगो को खुला तो नहीं छोड सकते कि कोई भी उन को बनाये, कोई भी उन का वितरण करे । आप इस को खुला नही छोड सकते । उस के लिए आवश्यकता है कोई कानून बनाने की, और उसे रेगुलेट करना चाहिए, इस को किसी बधन मे बाधना चाहिए ताकि लोगो के जीवन के साथ इसानो के साथ पशुओ के साथ और फसलो के साथ न्याय हो सके, उन का बचाव हो सके, नही तो फसले भी बर्बाद हो सकती है । तो अगर हम रेगुलेट

[प्रो० शेर सिंह]

न करें तो और कौन सा रास्ता है। वह क्या कहना चाहते हैं ? क्या वह चाहते हैं कि हम, इस को खुला छोड़ दें ? जो चाहे दवा बनाये जो चाहे दवा बेचे, चाहे जो उस की क्वालिटी हो और उस पर कोई रोकथाम न हो, और उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग ऐसे हैं...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हम ने रजिस्ट्रीकरण के लिए समर्थन दिया था, हम ने कभी उस का विरोध नहीं किया, लेकिन हम ने जो आप की स्थिति देखी कि आप किसानों को मदद नहीं करने जा रहे हैं। आप उन की मदद कैसे करेंगे यह आप बतलाइये। दाम कैसे बढ़ रहे हैं। सब्सीडी दे कर तो आप दाम कम करा सकते हैं। आज दाम की क्या स्थिति है ?

प्रो० शेर सिंह : दामों के बारे में मैं पहले कह चुका हूं। सब्सीडी देने की बात भी है और कीमत कम करने की बात भी है। जहां तक आप ने कहा कि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं और दवाइयों पर जो कुछ लिखा रहता है उस को वे पढ़ नहीं सकेंगे तो उस का हम ने प्रबंध किया है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उन पर लेबल लगाये जायें और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उन पर लेबल लगाये जाते हैं और आज देश में ऐसा कोई गांव नहीं रहा है जिस में काफी संख्या में लोग कम से कम अपनी उस प्रान्त की भाषा को जानने वाले न हों। अब तो घर में मैट्रिक पास लड़के मिल जाते हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप मेरी बात का जवाब दे तो अच्छा रहेगा। मैं ने कहा था कि दवा बिकती है, लेकिन उस का एंटीडोट नहीं मिलता है। क्या आप इस की कोई व्यवस्था करेंगे कि वह भी मिल सके ?

प्रो० शेर सिंह : उस के बारे में...

श्री डाह्याभाई व० पटेल : मंत्री जी अलग दुनिया में रहते हैं। कहां घर घर में मैट्रिक पास लड़के मिल रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : अब गांवों में वह बात नहीं रह गयी जो 25 साल पहले थी। वह बात आज नहीं है। आज कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस में दस, बीस, पचास या सौ आदमी पढ़े लिखे, कम से कम उस प्रान्तीय भाषा के जानने वाले न मिल जायं। वह पुरानी बात है। पच्चीस साल पहले की बात कर रहे हैं। आज वह बात नहीं है। अब देश बदल चुका है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उत्तर प्रदेश में कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग पहुंच भी नहीं पाते।

प्रो० शेर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस के अलावा कुछ प्रैक्टिकल डिमांस्ट्रेशस की भी बात है कि हर ब्लाक लेबिल पर इंसेक्टीसाइड्स के इस्तेमाल के बारे में बताये और उसके साथ जो उसके ऐंटी-डोट्स हैं उसके बारे में भी बताये ताकि लोग देख लें कि इस ढंग की दवा देने से उसका असर नहीं रहता है। तो वह डिमांस्ट्रेशन की जाती है। यह आपने ठीक कहा कि उसका प्रचार करना चाहिये। हम उसका प्रचार करेंगे, एंटी-डोट्स का प्रचार करेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा कभी गल्ती से खा भी जाय तो उसकी चिकित्सा हो सके और उसका असर न रहे।

श्री मान सिंह वर्मा : यादव जी का कहना था कि वह दवाय ऐंटी-डोट को मिलनी चाहिये

प्रो० शेर सिंह : वह मैंने कहा कि उसका भी प्रचार करेंगे। बाकी और कोई नई बात तो आपने कही नहीं।

श्री महावीर त्यागी : आपकी ट्रेज़री बेंचेज को करप्शन का कोड़ा लग गया है तो कुछ उसके वास्ते भी इंसेक्टीसाइड कर दो।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह क्या कहे, उसका कोई जवाब नहीं।

प्रो० शेर सिंह : यह इंसेक्टीसाइड्स के बारे में जो रेगुलेशन ला रहे हैं वह तो इंसान और पौधों को बचाने के लिये हैं कि कोई ऐसी

चीज न हो जाय जिससे कि इंसान को नुकसान हो जाय, यह उसको रेगलेट करने की बात है, इंसान को मारने के लिये नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है । कोई आदमी जो गलत कर्म करता है उसको अपना कर्म ही मार डालता है, उसके लिये कोड़ मारने की दवाई की जरूरत नहीं होती, कर्म ही आदमी को मारता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. DEBI PRASAD CHATTOPADHYAY): Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 was enacted for the purpose of checking unplanned and haphazard growth of shabby looking buildings and structures, excavations and approach roads in a periphery area of 5 miles radius, surrounding the Chandigarh city. Later, owing to the swift urbanisation of the area around Chandigarh and the location therein of the Cantonment, Indian Air Force Station and the Hindustan Machine Tools Factory, the Act was amended to extend the control to a periphery area of 10 miles radius around Chandigarh, by Punjab Act No. 28 of 1962.

With the reorganisation of Punjab with effect from 1st November, 1966, the periphery area of Chandigarh city has fallen to the share of the Government of Punjab and Haryana, and the Administration of the Union Territory of Chandigarh. In accordance with the provisions of section 88 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, continues to apply to all the peripheral areas of Chandigarh to which the Act was applicable before 1st November, 1966. Therefore, the three Governments have to enforce the provisions of the Act in their respective areas of jurisdiction.

The Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, in its application to Chandigarh was adopted by the Central Government, *vide* The Punjab Reorganisation (Chandigarh) (Adaptations of Laws on State and Concurrent Subjects) Order, 1968. The Chandigarh Administration have experienced certain difficulties in the application of the Act within their area of jurisdiction and to overcome those difficulties have suggested certain amendments to the Act. The circumstances which have necessitated these amendments are being explained now. Sub-section (4) of section 6 of the principal Act reads as under :

"The Deputy Commissioner shall not refuse permission to the erection or re-erection of a building if such a building is required for purposes subservient to agriculture, nor shall the permission to erect or re-erect any such building be made subject to any conditions other than those which may be necessary to ensure that the building will be used solely for agricultural purpose."

The obligation for according permission for the erection or re-erection of buildings which are reported to be required for purposes subservient to agriculture gives complete exemption to